

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की 15वीं बैठक दिनांक 20-07-2019 का कार्यवृत्त।

उपस्थित :

1.	प्रो० माहरुख मिर्जा, मा० कुलपति	मा० अध्यक्ष
2.	श्री अमित गुप्ता (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
3.	प्रो० सोमेश कुमार शुक्ल (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
4.	प्रो० ए० चटर्जी (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
5.	प्रो० बी०डी० मिश्रा (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
6.	प्रो० मसउद आलम, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग।	सदस्य
7.	प्रो० सैयद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग।	सदस्य
8.	प्रो० एस०एस०ए० अशरफी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।	सदस्य
9.	डॉ० एहतेशाम अहमद, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग।	सदस्य
10.	डॉ० सौबान सईद, एसोसिएट प्रोफेसर, उर्दू विभाग।	सदस्य
11.	डॉ० प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग।	सदस्य
12.	श्री महेन्द्र कुमार भट्ट, वित्त अधिकारी।	विशेष आमंत्री
13.	श्री अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव	कुलसचिव / पदेन सचिव

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के माननीय अध्यक्ष/माननीय कुलपति व सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत के उपरान्त बिन्दुवार कार्यपरिषद के बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कार्यवाही

बिन्दु संख्या—1

कार्यपरिषद की 14वीं बैठक दिनांक 20-04-2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने दिनांक 20-04-2019 को सम्पन्न हुई अपनी 14वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की। साथ ही कार्यपरिषद द्वारा अपने पूर्व में लिये गये

निर्णय के अनुसार कुलपति कैप कार्यालय हेतु आवश्यकतानुसार स्टाफ को शीघ्र रखने पर स्वीकृति भी प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या-2

वित्त समिति की 10वीं बैठक दिनांक 18-04-2019 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने वित्त समिति की 10वीं बैठक दिनांक 18-04-2019 में लिये गये निर्णयों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया, जिसमें शासन द्वारा सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना के मद में विश्वविद्यालय के 02 विभागों क्रमशः वाणिज्य विभाग हेतु धनराशि ₹07.25 लाख तथा अरबी विभाग हेतु धनराशि ₹05.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

साथ ही शासन द्वारा सेमिनार मद में विश्वविद्यालय के तीन विभागों क्रमशः गृह विज्ञान विभाग, अर्थशास्त्र विभाग एवं वाणिज्य विभाग हेतु स्वीकृत कुल धनराशि ₹04.50 लाख के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में सेमिनार आयोजित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

उक्त के अतिरिक्त कार्यपरिषद द्वारा वित्त समिति की 10वीं बैठक दिनांक 18-04-2019 के बिन्दु संख्या-8.1 में उल्लिखित विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की फीस के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी नवीन फीस को सत्र 2019-20 से लागू किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या-3

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-600 / सत्तर-1-2019-16(114) / 2010, दिनांक 28-06-2019 को अंगीकृत करने पर विचार।

निर्णय-

-2-


Dr. Ashok Kumar Chauhan
University Chancellor
Lucknow


Dr. Rakesh Kumar Chauhan
राज्य उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय, लखनऊ
उद्घृत अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-600 /सत्तर-1-2019-16(114) /2010, दिनांक 28-06-2019 के बिन्दु संख्या-5 'यू0जी0सी0 रेगलेशन, 2018 के विनियम संख्या 3.10 में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की अर्हताओं के अन्तर्गत वर्ष 2021 से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु पीएचडी0 को अनिवार्य अर्हता के रूप रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पीएचडी0 अर्हता प्राप्त शिक्षकों की उपलब्धता का आंकलन करने के उपरान्त यह विनियम आवश्यकतानुसार यथा समय लागू किये जाने पर विचार किया जायेगा।' का संज्ञान लते हुए उक्त आदेश दिनांक 28-06-2019 को अंगीकृत किये जाने पर सर्वसम्मिति से स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या-4

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अध्ययन की प्रत्येक शाखा संकाय के सभी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-629 /सत्तर-1-2019-यू0ओ0 10 /2019, दिनांक 03-07-2019 को अंगीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अध्ययन की प्रत्येक शाखा संकाय के सभी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-629 /सत्तर-1-2019-यू0ओ0 10 /2019, दिनांक 03-07-2019 को अंगीकृत किये जाने पर सर्वसम्मिति से स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या-5

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किये जाने के

सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-630/ सत्तर-1-2019-17(13)/95 टी०सी०, दिनांक 03-07-2019 को अंगीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-630/ सत्तर-1-2019-17(13)/95 टी०सी०, दिनांक 03-07-2019 को अंगीकृत किये जाने पर सर्वसमिति से स्वीकृति प्रदान की तथा शासन से उक्त के सम्बन्ध में

बिन्दु संख्या-6

अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सरकारी एवं निजी (अनुदानित व गैर अनुदानित) अध्यापक शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2019-20 में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-281/सत्तर-7-2019-बी०ए८०(०९)/2014टी०सी०, दिनांक 12-07-2019 को अंगीकृत करने पर विचार।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सरकारी एवं निजी (अनुदानित व गैर अनुदानित) अध्यापक शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2019-20 में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-281/सत्तर-7-2019-बी०ए८०(०९)/2014टी०सी०, दिनांक 12-07-2019 को अंगीकृत किये जाने पर सर्वसमिति से स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या-7

प्रोवोस्ट/वार्डन महिला एवं पुरुष छात्रावास के द्वारा पुरुष एवं महिला छात्रावास हेतु तैयार किये गये नवीन नियमों को विश्वविद्यालय हित में लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने प्रोवोस्ट/वार्डन महिला एवं पुरुष छात्रावास के द्वारा पुरुष एवं महिला छात्रावास हेतु तैयार किये गये नवीन नियमों को विश्वविद्यालय हित में लागू किये जाने पर निम्नलिखित संशोधन के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया :—

18 FEE PAYMENT SCHEDULE

(a). Mess Fee

- All students must pay the fooding charges extra, which will be monthly basis and may be revised from time to time.
- Mess will generally function from July to the end of end-semester examination of odd semester, and from January to the end of end-semester examination of even semester every year.
- Every resident has to deposit a sum of Rs. 3000/- towards Mess Advance Fee at the time of admission. Mess Advance Fee will be adjusted at the time of last month of year.*
- On prior information, the Warden (Mess) may allow the adjustment of mess remission at the end of session. However, no mess refund shall be allowed for less than 7 consecutive days and not more than 30 days in one academic year. No claim for remission of food charges shall be entertained if the resident has not submitted prior application to the concerned Warden/Caretaker.
- If the resident fails to deposit the Mess Fee on due date, the mess facility shall be withdrawn and an appropriate action shall be taken against such defaulters including expulsion from the hostel.

HOSTEL FEE STRUCTURE

SL	Heads of Fee	New Allotment Single Occupancy (in Rs) Installment wise			Renewal Single Occupancy (in Rs) Installment wise			New Allotment Double Occupancy (in Rs) Installment wise			Renewal Double Occupancy (in Rs) Installment wise			
		First	Second	Total	First	Second	Total	First	Second	Total	First	Second	Total	
1	Admission Fee	100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200	
2	Maintenance Fee	413	412	825	413	412	825	413	412	825	413	412	825	
3	Room Rent	3000	3000	6000	3000	3000	6000	2250	2250	4500	2250	2250	4500	
4	Electricity/water charges	500	500	1000	500	500	1000	500	500	1000	500	500	1000	
5	Caution Money	1000	-	1000	-	-	-	1000	-	1000	-	-	-	
	Total	5013	4012	9025	4013	4012	8025	4263	3262	7525	3263	3262	6525	

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय पुरुष एवं महिला छात्रावास के समस्त छात्र/छात्राओं को मेस के मासिक भोजन व्यय के रूप में देय धनराशि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह अर्थात् 05 तारीख तक जमा करनी होगी। साथ उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय पुरुष एवं महिला छात्रावास के समस्त छात्र/छात्राओं को मेस के

Dr. Md. Aslam Chisti
Guru Arbind Singh University
Lucknow

—5—

खाजा मुइनुद्दीन चिर्ती
चौरा अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रारम्भ में धनराशि रु03,000/- अग्रिम के रूप में जमा करना होगी, जो कि अन्तिम सेमेस्टर के अन्तिम माह में समायोजित की जायेगी।

बिन्दु संख्या—8

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग/सदस्य सचिव, उ0प्र0 शासन के अद्वशापत्रसंख्या—114/रा0उ0शि0प0/37/18, दिनांक 08-07-2019 द्वारा Revised Accreditation Framework-2017 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विश्वविद्यालय का NAAC मूल्यांकन कराने के सम्बन्ध में प्रो० (डॉ०) सैयद हैदर अली, समन्वयक, NAAC द्वारा प्रेषित Revised Accreditation Framework-2017 पर विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग/सदस्य सचिव, उ0प्र0 शासन के अद्वशापत्रसंख्या—114/रा0उ0शि0प0/37/18, दिनांक 08-07-2019 द्वारा Revised Accreditation Framework-2017 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विश्वविद्यालय का NAAC मूल्यांकन कराने के सम्बन्ध में प्रो० (डॉ०) सैयद हैदर अली, समन्वयक, NAAC द्वारा प्रेषित Revised Accreditation Framework-2017 पर विचार—विमर्श किया।

विचार—विमर्श के उपरान्त कार्यपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं तथा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर पदों के सृजन की पत्रावली शासन स्तर पर लम्बित होने के कारण NAAC न कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या—9

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोर्टकेस, आर0टी0आई० एवं आई०जी०आर0एस० से सम्बन्धित कार्यों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय के खर्च पर रु020,000/- प्रतिमाह की दर से निश्चित भुगतान पर एक अधिवक्ता की तैनाती किये जाने पर विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के कोर्टकेस से सम्बन्धित कार्यों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय के खर्च पर रु010,000/- प्रतिमाह प्रति अधिवक्ता की दर से निश्चित

भुगतान पर विश्वविद्यालय में सूचीबद्ध 02 अधिवक्ताओं की तैनाती 06 माह के लिए Trial Basis के आधार पर किये जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी, जो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की विधिक राय अथवा न्यायालय सम्बन्धी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय को सहयोग प्रदान करेंगे।

बिन्दु संख्या-10

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु विचार-विमर्श।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने आभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सामग्रियों के क्रय इत्यादि की कार्यवाही हेतु नियमानुसार कार्य सम्पादित कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या-11

विश्वविद्यालय में नवीन सत्र हेतु फर्नीचर के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु क्रय का अनुमोदन।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में नवीन सत्र हेतु फर्नीचर के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए सामग्रियों के क्रय इत्यादि की कार्यवाही हेतु नियमानुसार कार्य सम्पादित कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या-12

अन्य बिन्दु- माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या-12.1

जो शिक्षक किसी अन्य विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें भी इस विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों में रखने की कार्यात्मक स्वीकृति पर विचार।

निर्णय-

कार्यपरिषद ने जो शिक्षक किसी अन्य विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में विभिन्न पाठ्यक्रमों में रखने की

अनुमति प्रदान करते हुए प्रो० दीपिका श्रीवास्तव को अंग्रेजी विभाग में अतिथि व्याख्याता के रूप में रखने की कार्योत्तर रवीकृति प्रदान की। साथ ही भविष्य में सेवानिवृत्त शिक्षकों को अतिथि व्याख्याता के रूप में रखने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—12.2

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की फीस जोकि रु० 33,000/- प्रति सेमेस्टर है जिसमें परीक्षा फीस रु०3,000/- प्रति सेमेस्टर, जोकि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की फीस में सम्मिलित है, रु० 33,000/- प्रति सेमेस्टर या उससे अधिक होने पर विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की फीस जोकि रु० 33,000/- प्रति सेमेस्टर है जिसमें परीक्षा फीस रु०3,000/- प्रति सेमेस्टर, जोकि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की फीस में सम्मिलित है, रु० 33,000/- प्रति सेमेस्टर ही लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या—12.3

प्रो० सैय्यद तकी अली आब्दी, प्रोफेसर उर्दू/फारसी को जीवनभर के लिये विश्वविद्यालय के उर्दू एवं फारसी विभाग के विजिटिंग प्रोफेसर बिना किसी वित्तीय व्ययभार पर नामित करने पर अनुमोदन।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने प्रो० सैय्यद तकी अली आब्दी, प्रोफेसर उर्दू/फारसी को 05 वर्ष के लिये विश्वविद्यालय के उर्दू एवं फारसी विभाग का विजिटिंग प्रोफेसर बिना किसी वित्तीय व्ययभार पर नामित किये जाने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या—12.4

विश्वविद्यालय के विभिन्न इन्वेन्ट्री को निर्माण निगम से हैण्डओवर लेने पर विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के विभिन्न इन्वेन्ट्री को निर्माण निगम से हैण्डओवर लेने हेतु निम्नवत् निर्देशित किया :—

—8—

1. हैण्डओवर लिये जाने वाले सभी वर्तुओं/सामग्रियों आदि की पूर्णतया सूचीकरण (Listing) होनी चाहिए।
2. स्टॉक रजिस्टर बना होना चाहिए।
3. अभिलेख पूर्णतया सत्यापित होना चाहिए।
4. हैण्डओवर लेने वाला व्यक्ति सहायक/उप कुलाधिक रत्तर के नीचे का नहीं होना चाहिए।

बिन्दु संख्या—12.5

विश्वविद्यालय में पुरुष एवं महिला छात्रों हेतु एन०सी०सी० बटैलियन की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में पुरुष एवं महिला छात्रों हेतु एन०सी०सी० को प्रारम्भ करने महत्वपूर्ण निर्णय पर माननीय कुलपति महोदय की सराहना की। साथ ही कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में एन०सी०सी० बटैलियन की 50 महिला विद्यार्थियों एवं 25 पुरुष विद्यार्थियों से एन०सी०सी० कैडिट प्रारम्भ करने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या—12.6

विश्वविद्यालय के अरबी और फारसी भाषा हेतु एम०ए० के 05 भारतीय सेना के साथ प्रतिवर्ष एम०ओ०य० प्रेषित किया गया है जिसको हस्ताक्षरित करने की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने माननीय कुलपति, प्रो० माहरुख़ मिर्ज़ा द्वारा लिये गये इस सराहनीय कदम की प्रशंसा की जिसमें कुलपति ने भारतीय सेना के 05 अधिकारी/जवान को अरबी और फारसी भाषा सीखने के लिए एम०ए० में प्रवेश दिये जाने का जो निर्णय लिया और उस सम्बन्ध में जो एम०ओ०य० हस्ताक्षरित किया उसकी बधाई देते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या—12.7

रज़वी यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइन्सेस, मशहद, ईरान से विश्वविद्यालय के साथ एम०ओ०य० हस्ताक्षरित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने रजवी यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइनेस, मशहद, ईरान से विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या—12.8

श्री आयुष तिवारी के प्रकरण पर पैरवी में लापरवाही पर चर्चा।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने श्री आयुष तिवारी के प्रकरण पर पैरवी में लापरवाही किस स्तर पर हुई इसकी जाँच हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को अधिकृत किया। साथ ही कार्यपरिषद ने माननीय कुलपति को अपनी देख-रेख में तीन सदस्यीय समिति का गठन कर प्रकरण का गहनता से परीक्षण कराकर उसकी आख्या शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने पर भी स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या—12.9

पुरुष एवं महिला छात्रावास की घटना की जाँच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना।

निर्णय—

विश्वविद्यालय पुरुष एवं महिला छात्रावास की घटना की जाँच रिपोर्ट से कार्यपरिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए जाँच रिपोर्ट को कार्यपरिषद के समक्ष खोली गयी तथा रिपोर्ट ~~का अनुमोदन करने की~~ कार्यपरिषद के सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी। कार्यपरिषद के माननीय सदस्यों द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही प्रकरण से सम्बन्धित सी०सी०टी०वी० फुटेज राजभवन एवं शासन द्वारा नामित सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रकरण पर अग्रेतर निर्णय लिये जाने पर सहमति भी व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या—12.10

सेमेस्टरवार फीस के फाइनल ब्रेकअप पर अनुमोदन।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने निम्नानुसार सेमेस्टरवार फीस एवं रांगन फीस के फाइनल ब्रेकअप पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया :-

Fees Structure 2019-20

Courses	Sem. I	Sem. II	Caution Money (Refundable)	Total	Sem. III	Sem. IV	Total	Sem. V	Sem. VI	Total	Sem. VII	Sem. VIII	Total
B. A. (Hons.) Urdu, Arabic, Persian, Hindi, English, Sanskrit, History, Economics, Political Science, Sociology	3725	3550	500	7775	2975	3550	6525	2975	3550	6525	-	-	
B. A. (Hons.) Home Science, Geography, Education, Physical Education	3725	4550	500	8775	2975	4550	7525	2975	4550	7525	-	-	
B. Com. (Hons.)	4710	4535	1000	10245	3960	4535	8495	3960	4535	8495	-	-	
B.C.A	5975	8800	1500	16275	5225	8800	14025	5225	8800	14025	-	-	
B.Sc. (Home Science)	6975	7800	500	15275	6225	7800	14025	6225	7800	14025	-	-	
B.Sc. Hons Geography	3725	4550	500	8775	2975	4550	7525	2975	4550	7525	-	-	
B.B.A	6975	7800	500	15275	6225	7800	14025	6225	7800	14025	-	-	
B.A.J.M.C	5975	8800	1500	16275	5225	8800	14025	5225	8800	14025	-	-	
M.C.A	16363	20887	3000	40250	15613	20887	36500	15613	20887	36500	-	-	
B.E.D	8902	10052	0	18954	8152	10052	18204	-	-	-	-	-	
M.A.J.M.C	8250	12775	2000	23025	7500	12775	20275	-	-	-	-	-	
M . Com	5750	5275	1500	12525	5000	5275	10275	-	-	-	-	-	
M.B.A	16363	20887	3000	40250	15613	20887	36500	-	-	-	-	-	
M.A. Home Science, Geography and Education	6250	6775	1500	14525	5500	6775	12275	-	-	-	-	-	
M.A. Urdu, Arabic, Persian, Hindi, English, Sanskrit, History, Economics, Political Science	5150	5675	1500	12325	4400	5675	10075	-	-	-	-	-	
B.Tech.	34000	33000	2000	69000	33000	33000	66000	33000	33000	66000	33000	33000	66000

बिन्दु संख्या—12.11

उप कुलसचिव के वित्तीय प्रकरण में विधिक मत (Opinion) के सम्बन्ध में चर्चा।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने उप कुलसचिव के वित्तीय प्रकरण में विधिक मत (Opinion) के सम्बन्ध में चर्चा की गयी तथा उक्त स्थिति से शासन को अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या—12.12

भूमि अधिग्रहण एवं ग्राम समाज की भूमि के सम्बन्ध में अबतक की गयी कार्यवाही पर विचार।

निर्णय—


Dr. Khwaja Motiuddin Chishti
Khwaja Motiuddin Chishti
Urdu, Arabic-Farsi University
Lucknow


Qazi Nuzulpati
ख्याजा नुज़ुलदीन चिश्ती
लखनऊ, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

कार्यपरिषद ने भूमि अधिग्रहण एवं ग्राम समाज की भूमि के सम्बन्ध में अबतक की गयी कार्यवाही से कार्यपरिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया।

बिन्दु संख्या—12.13

शिक्षकों के नये अवकाश नियम के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने शिक्षकों के नये अवकाश नियम पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या—12.14

पी0एच0डी0 की फीस वापसी के प्रकरण पर जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने पी0एच0डी0 में प्रवेश लेने के उपरान्त पी0एच0डी0 प्रवेश को छोड़ने वाले शोध विद्यार्थियों की फीस वापस न करने की सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की।
अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव / सचिव कार्यपरिषद।

Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Urdu, Arabi-Farsi University
Lucknow

(प्रो० माहरुख मिज़री)
कुलपति / अध्यक्ष, कार्यपरिषद
कुलपति

खाजा मुइनुद्दीन चिश्ती
उर्दू अरबी, फारसी विद्यालय, लखनऊ

Fees Structure 2019-20



خواجہ مسیحی اسلامی قاری یونیورسٹی - خواجہ مسیحی اسلامی قاری یونیورسٹی - امرابنی - فارسی - اردو - اسلامی علوم و تکمیلی تعلیماتی، لکھنؤ

Fees Structure 2019-20

Courses	Enrollment Fee	Re-Registration Fee	Tuition Fee	Game Fee	Library Fee	Student Union Fee	Poor Delegacy Fund	Student Exam Fee	Development Fund	Cultural Activities Fund	Student Accident Relief Fund	Computer Electricity Practical Fee	ICard Fee	Caution Money	Sem. III	Sem. IV	Total	
B.A. (Hons.) Urdu, Arabic, Persian, Hindi, English, Sanskrit, History, Economics, Political Science, Sociology, Home Science, Geography, Education, Physical Education	0	0	400	500	50	50	25	25	50	1250	250	50	250	0	25	0	2975	
B.A. (Hons.) Home Science, Geography, Education, Physical Education	0	0	400	500	50	50	25	25	50	1250	250	50	250	0	25	0	3550	
B.Com. (Hons.)	0	0	400	735	50	50	25	25	50	1250	250	50	250	2000	0	25	0	7525
B.C.A.	0	0	400	1000	50	50	25	25	50	1500	750	50	250	1000	0	0	0	8495
B.Sc. (Home Science)	0	0	400	1000	50	50	25	25	50	1750	250	50	250	4000	0	25	0	14025
B.Sc. Hons. Geography	0	0	400	500	50	50	25	25	50	1250	250	50	250	2000	0	25	0	7525
B.B.A.	0	0	400	1000	50	50	25	25	50	1750	250	50	250	0	25	0	6225	
B.A., M.C	0	0	400	1000	50	50	25	25	50	1750	250	50	250	2000	0	0	0	14025
B.E.C	0	0	1000	1302	100	100	75	25	100	2400	2500	175	100	250	0	25	0	8152
M.A., M.C	0	0	700	1850	100	100	25	25	100	2400	2500	175	100	250	0	0	0	18204
M.Com	0	0	700	1850	100	100	25	25	75	1750	2500	50	250	0	25	0	0	20275
M.A.	0	0	700	1850	100	100	25	25	75	1750	2500	50	250	6000	0	0	0	12775
Home Science, Geography and Education	0	0	1850	100	100	25	25	75	1250	1000	50	250	0	25	0	0	5500	
I.M.A.	0	0	700	1250	100	100	25	25	75	1250	500	50	250	0	25	0	0	12275
Urdu, Arabic, Persian, Hindi, English, Sanskrit, History, Economic, Political Science	0	0	1250	100	100	25	25	75	1250	500	50	250	0	25	0	0	10075	
M.B.A	0	0	700	10000	100	200	25	25	75	1613	2500	50	250	0	25	0	0	5675
M.C.A	0	0	700	10000	100	200	25	25	75	1612	2500	50	250	6000	0	0	0	36500
P.H.D	0	0	4200	4285	100	600	75	50	150	0	4000	100	500	0	0	0	0	20887
B.Tech.	0	0	1500	14000	100	400	50	200	50	3000	7000	500	100	5500	100	0	0	66000



Fees Structure 2019-20

Conrad *W. G.*
W. G. Conrad

कुलपति
जगद्गुरु ब्रह्मण विश्वी
उद्धव उद्धव उद्धव



خواجہ مسیح بن الہ کرت پختگی اردو، عربی - فارسی میں شعبہ سی ایچسٹو
خواجہ مسیح بن الہ کرت پختگی اردو، عربی - فارسی میں شعبہ سی ایچسٹو
خواجہ مسیح بن الہ کرت پختگی اردو، عربی - فارسی میں شعبہ سی ایچسٹو

Fees Structure 2019-20

Registrar
Khweja Moinuddin Chishti
Urdu, Arabi-Farsi University
Lucknow

कुलपति
ख्याजा मुहम्मद दीन चिस्ती
अरवी, फारसी विश्वविद्यालय, नईदिल्ली

~~John Walker~~